

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000756 / 2014

सरकार.....बनाम.....राम खेलावन लोध व अन्य

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.राम खेलावन लोध व 2.सुरेश** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ :-

1. यह कि दिनांक 16 / 03 / 2014 को समय करीब 5.00 बजे शाम स्थान ग्राम मसीढ़ा हमीर थाना क्षेत्र माल जिला लखनऊ में आप ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा मुन्नीलाल जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के पुत्र रामू की गोली मारकर हत्या कारित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34 एवं सपठित धारा 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा मुन्नी लाल के पुत्र रामू की गोलीमार हत्या कारित करने के बाद उसके शव को ग्राम मसीढ़ा हमीर के बाग मे साक्ष्य विलुप्त करने के आशय से फेंक दिया और इस प्रकार आप लोगो ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 201** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक : 08 / 12 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक : 08 / 12 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000756/2014

सरकार.....बनाम.....राम खेलावन लोध व अन्य

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.राम खेलावन लोध व 2.सुरेश** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ :-

1. यह कि दिनांक 16/03/2014 को समय करीब 5.00 बजे शाम स्थान ग्राम मसीढ़ा हमीर थाना क्षेत्र माल जिला लखनऊ में आप ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा मुन्नीलाल जो अनुसूचित जाति का सदस्य है,के पुत्र रामू की गोली मारकर हत्या कारित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34 एवं सपठित धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा मुन्नी लाल के पुत्र रामू की गोलीमार हत्या कारित करने के बाद उसके शव को ग्राम मसीढ़ा हमीर के बाग मे साक्ष्य विलुप्त करने के आशय से फेंक दिया और इस प्रकार आप लोगो ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 201** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक :08/12/2015

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक :08/12/2015

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000758 / 2014

सरकार.....बनाम.....राम खेलावन लोध व अन्य

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.राम खेलावन लोध** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 23/03/2014 को समय करीब 22.50 बजे स्थान ग्राम भानपुर थाना क्षेत्र माल जिला लखनऊ में आप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और आपकी जामा तलाशी से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जीवित कारतूस बरामद किए और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **आयुध अधिनियम की धारा 3/25** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक : 08 / 12 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक : 08 / 12 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000757 / 2014

सरकार.....बनाम.....सुरेश

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **सुरेश** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 01 / 04 / 2014 को समय करीब 19.20 बजे स्थान ग्राम पतौना मोड ग्राम पतौना थाना क्षेत्र माल जिला लखनऊ में आप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और आपकी जामा तलाशी से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जीवित कारतूस बरामद किए और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **आयुध अधिनियम की धारा 3 / 25** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक : 08 / 12 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक : 08 / 12 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

